बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, नियोजन भवन, बेली रोड, पटना।

सं. संख्या– टी 3/योजना–33/2008 (खंड 1)– 1096 पटना, दिनांक– 24.04.2025

प्रेषक,

विशेष संचिव,
श्रम संसाधन विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय– **राज्य स्कीम अंतर्गत मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम स्कीम हेतु वित्तीय वर्ष 2025–2026 में अवधि विस्तार तथा रू0– 3754.40 लाख (रूपये सैंतीस करोड़ चौवन लाख चालीस हजार) मात्र की राशि के व्यय की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपयुर्क्त विषयक निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष) के अधीनस्थ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों एवं निदेशालय के कुशल प्रशासन एवं गुणात्मक विकास, पारदर्शिता, नामांकन पद्धति, परीक्षा प्रणाली में सुदृढ़ीकरण इत्यादि कार्यों के त्वरित निष्पादन हेतु मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम स्कीम का वित्तीय वर्ष 2025–2026 के लिए अवधि विस्तार की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम स्कीम हेतु वित्तीय वर्ष 2025–2026 में रू0– 3754.40 लाख (रूपये सैंतीस करोड़ चौवन लाख चालीस हजार) मात्र की राशि के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. इस स्कीम पर व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2025–2026 में बजट उपबंध रू0– 3754.40 लाख (रूपये सैंतीस करोड़ चौवन लाख चालीस हजार) मात्र उपलब्ध है।

3. इस स्कीम पर व्यय मांग संख्या–26, मुख्य शीर्ष 2230 श्रम, रोजगार और कौशल विकास, उपमुख्य शीर्ष 03 प्रशिक्षण, लघु शीर्ष 003 शिल्पकारों एवं पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, उप शीर्ष 0126 मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम, विपत्र कोड–26–2230030030126 के विषय शीर्ष (21–01) सामग्री एवं पूर्तियां अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025–2026 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राज्य स्कीम के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना होंगें एवं इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सभी प्रभारी प्राचार्य/ प्राचार्य/ उप निदेशक /क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी/ सहायक निदेशक प्रशिक्षण/ सहायक निदेशक प्रशिक्षण शिक्षु/ सहायक निदेशक परीक्षा होंगें, जिन्हें आवश्यकतानुसार राशि आवंटित की जाएगी।

5. यह चालू योजना है।

6. प्रस्ताव में संचिका संख्या–टी 3/योजना–33/2008 (खंड 1) के पृष्ठ– 32/टि0 पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन, पृष्ठ–32/टि0 पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है तथा पृष्ठ–30/टि0 पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

24/04/25

(सुनील कुमार यादव)
विशेष सचिव
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक– टी 3/योजना–33/2008 (खंड 1)– 1096 पटना, दिनांक– 24.04.2025

प्रतिलिपि– सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/04/25

विशेष सचिव
श्रम संसाधन विभाग।

ज्ञापांक– टी 3/योजना–33/2008 (खंड 1)– 1096 पटना, दिनांक– 24.04.2025

प्रतिलिपि– सचिव, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना/ योजना एवं बजट शाखा, श्रम संसाधन विभाग/ कोषागार पदाधिकारी/ निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण के आप्त सचिव/ सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रशिक्षण पक्ष/ आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग/ बजट शाखा (सरकार पक्ष)/ निदेशालय बजट शाखा/ निदेशालय योजना/ क्रय (मुख्यालय)/ निदेशालय मासिक व्यय शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/04/25

विशेष सचिव
श्रम संसाधन विभाग।